15 दिन की धार्मिक गुंडागर्दी के बाद राहत

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते 15 दिनों से शहर की सड़कों पर कांवड़ के नाम पर चल रही हुड़दंगबाज़ी से 10 अगस्त को राहत मिल गयी। हरिद्वार एवं गौमुख से गंगाजल लाने के नाम पर जिस तरह से कांवड़ियों के भेस में इलाके के तमाम लफ़ंटर सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे थे उससे सारी जनता परेशान रही।

सावन माह की शिवरात्रि के लिये शिवलिंग पर गंगा जल चढाने का अंधविश्वास एवं आस्था बहुत पुरानी है। शिव के प्रति अपनी निष्ठा एवं भक्ति को जताने के लिये कुछ मासूम एवं भोले-भाले लोग हरिद्वार से पैदल गंगाजल की कांवड़ लाकर शिव पर चढाते थे। परन्तु ज्यों-ज्यों बाज़ारवाद और अंधविश्वास को राजनैतिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलता गया इस पाखंड का स्वरूप बदलता एवं बढता गया।

अब इसके लिये महीनों पहले चंदे उगाहने का काम शुरू हो जाता है। लाखों की उगाही के बाद छोटे-बड़े ट्रक भाड़े पर लिये जाते हैं। उनमें फट्टे लगाकर उन्हें डबल डैकर बनाया जाता हैं। उनमें बहुत अधिक शोर मचाने वाले डीजे लगाये जाते हैं। इसके लिये जनरेटर भी साथ में फिट किये जाते हैं। फ़िर इन ट्रकों में 20-30 लफ़ंटर लद कर हरिद्वार जाते व आते समय कानफ़ोड़ू बेहूदा संगीत बजाते हुये सड़कों पर नाचते-कूदते हुये चलते हैं। ट्रकों को बहुत धीमी गति से चलाकर पूरा ट्रैफ़िक जाम कर दिया जाता है।

कानून ट्रकों में सवारियां लादना अपराध है। इसके लिये वाहन पर भारी जुर्माना किया जा सकता है और जरूरी हो तो वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। इसी तरह लाऊड स्पीकर बजाने के लिये कानूनन सम्बन्धित अधिकारियों से परमीशन लेने का प्रावधान है। इसके उल्लंघन पर गिरफ़्तारी व सज़ा भी हो सकती है। परन्तु धर्म की आड़ में पूरे 15-20 दिन उत्तर भारत के अधिकाश शहरों में यह हुड़दंग बेरोकटोक होता रहा और कानून अपनी मिट्टी पलीत होते देखता रहा, परेशान जनता अपना सिर धुनती रही।

कांवड़ के नाम पर सड़कों पर उछल कूद मचाते दो हुड़दंगी सोनीपत के निकट एक ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर सीधे स्वर्ग सिधार गये। जाने वाले तो स्वर्ग चले गये ट्रैक्टर चालक बेचारा मुफ़्त में हवालात चला गया। हुआ कुछ यूं था कि कुछ कांवड़िये राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ लाने का खेल कर रहे थे। वे कभी मोटरसाइकिल पर चढते थे कभी उतर कर साथ-साथ भागने लगते थे। इसी बीच वे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गये। यद्यपि इसमें ट्रैक्टर चालक का कोई कसूर नहीं था, फ़िर भी कानून का उल्लंघन करने वाले कांवड़ियों को खुश करने के लिये ट्रैक्टर चालक का चालान कर गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ इसी तरह फरीदाबाद के अजरौंदा मोड़ पर एक कावड़िया इसी तरह की ड्रामेबाजी करता अपने ही कैंटर के नीचे आ गया।

पैदल चलने वाले भी कुछ कसर नहीं छोड़ रहेथे। हाथों में बेस बॉल के बल्ले व हॉकी स्टिक लिये लड़के शिव भक्त तो नहीं हो सकते हां शिवभक्ति का बाना पहने लफ़ंटर जरूर हो सकते हैं। सरकार की तरफ़ से इन्हें इतना संरक्षण दिया गया कि ये लोग चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लें, पुलिस केवल तमाशबीन की भूमिका में ही रहने को मजबूर थी। पुलिस द्वारा निर्धारित रास्तों पर चलने की बजाय ये लोग जान बूझ कर इधर-उधर पूरी सड़क को इस तरह से घेरते हैं कि सारा ट्रैफ़िक जाम हो जाये।

सरकारें इन्हें प्रोत्साहन एवं बढावा इसलिये भी देती आ रही हैं कि ये अपनी मुरादें यानी जरूरत या इच्छायें पूरी करने के लिये सरकार की बजाय शिव भगवान के चक्कर में लगे रहें। संघी सरकारें तो इसमें विशुद्ध हिन्दुत्व देख कर वोटों का समीकरण ढूंढ रही हैं। इसके चलते यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार हेलीकॉप्टर से इन तथाकथित शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा तक करवा रही थी।

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढाते कांवड़िये

जिस तरह से कांवड़ियों के ट्रक सड़कों को जाम करते हैं उससे भारी वायु प्रदूषण होता है। इसी तरह बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाने व संगीत बजाने से ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। क्या जब ये इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि यन्त्र नहीं बने थे, ट्रक आदि वाहन नहीं बने थे तब भगवान की आराधना में कोई कमी रह जाती थी? क्या भगवान की मांग पर इन सब साधनों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं। यह सब बाजारवाद की मांग है। इलेक्ट्रानिक यन्त्रों द्वारा ऊंची आवाज में शोर मचाने से कानों पर तो जो दुष्प्रभाव पड़ता है सो पड़ता है, इमारतों के शीशे तक भी टूट जाते हैं। कांवड़ यात्रा के अन्तिम दिन जब यह हार्डवेयर चौक से गुजर रही थी तो शोर से 'मज़दूर मोर्चा' कार्यालय का एक शीशा टुकड़े-टुकड़े होकर गिर गया। ऐसे न जाने और कितने शीशे टूट कर गिरे होंगे, कोई गिनता नहीं क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है।

स्वयं पे कमीशन का बढ़ा वेतन लेने वाली दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला रद्द किया

रवींद्र गोयल की विशेष रिपोर्ट

शनिवार 4 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार का वो फैसला, जिसके तहत उसने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई थी, यह कहते हुए रद्द कर दिया की वो फैसला बिना किसी आधार पर सरकार द्वारा बिना दिमाग लगाये हुए किया गया फैसला था। कोर्ट का यह भी मानना था की ऐसा फैसला संविधान के विरुद्ध है। बताते हुए यह निर्णय कार्यकारी न्यायधीश गीता मित्तल एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की न्यायपीठ ने व्यापारियों, पेट्रोल व्यवसाइयों तथा रेस्टोरेंट वालों की संघों द्वारा किये गए केस पर किया। केस में मांग की गयी थी कि चूंकि? सरकार ने उनकी बात सुने बिना ये फैसला लागू किया है इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाए। यही नहीं, उपरोक्त न्यायपीठ ने सितम्बर 2016 में न्यूनतम मजदूरी पर बनाये गए एडवाइजरी पैनल के नोटिफिकेशन को भी प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध और बिना पर्याप्त दस्तावेज के बताते हुए रद्द कर दिया है।

जानकारी हो कि दिल्ली सरकार के मजदूरी बढ़ाने के फैसले को पहले पूर्व गवर्नर नजीब जंग ने भी रोका था और फिर काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी पहले के मुकाबले करीबन 40 प्रतिशत बढाई थी। बढ़ने के बाद मजदूरी इस प्रकार थी

मजदूर श्रेणी	बढ़ोत्तरी से पहले प्रति माह मजदूरी	बढ़ोत्तरी के बाद प्रति माह मजदूरी
अकुशल मजदूर	रूपए ।9724	रूपए 13950
अर्ध कुशल मजदूर	रूपए 10764	रूपए 14698
कुशल मजदूर	रूपए 11830	रूपए 16182

दिल्ली सरकार ने उपरोक्त राशि किस हिसाब से तय की यह तो पता नहीं। लेकिन भारत में 1948 में एक ब्रिटिश पोषण विशेषज्ञ Mr Wallace R Ayckroyd ने एक भारतीय मजदूर की खाद्य सम्बन्धी जरूरतों को 2700 कैलोरी प्रति दिन पर (जिसमें 65 ग्राम प्रोटीन और 45 से 60 ग्राम) आँका था। 1957 में इंडियन लेबर कांफ्रेंस ने इस मानदंड को न्यूनतम मजदूरी तय करते समय स्वीकार किया। और उसकी सिफारिशों के अनुसार एक काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए की वो 3 उपभोग इकाइयों के परिवार का भरण पोषण कर सके। (यह इस मान्यता पर आधारित है की औसत परिवार संख्या 4 की है यानि की 2 व्यस्क और 2 बच्चे), प्रति परिवार 72 गज प्रति वर्ष कपडा मिल सके, सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र का मकान किराये पर मिल सके तथा इस पर 20 प्रतिशत खर्च के रूप में ईंधन, प्रकाश और अन्य विविध वस्तुओं के लिए मिल सके। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने (Unichoy vs State of Kerala in 1961 and Reptakos Brett Vs Workmen case in 1991) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, मनोरंजन, त्यौहारों और समारोहों का खर्च शामिल करने के लिए उपरोक्त मजदूरी में 25 प्रतिशत और जोड़ने का फैसला दिया।

अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगाया है कि उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने पर आज की कीमतों के हिसाब से मजदूर को कम से कम 26000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। सातवें वेतन आयोग ने भी उपरोक्त आधार को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी 2016 के लिए न्यूनतम मजदूरी 18000 रुपये महीना तय की। वास्तव में राशि ज्यादा बनती थी पर आयोग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य भत्ते भी मिलेंगे जैसे शिक्षा भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि आदि। इसलिए इस राशी को 18000 रुपये महीना ही रखा। (देखें 7वें पे कमीशन रिपोर्ट पेज- 60) यह भी ध्यान रहे की सरकारी करमचारियों को महंगाई के लिए महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। यह भत्ता, 1 जून 2018से, 1 जनवरी 2016 के तय वेतन का 7 प्रतिशत है। अर्थात सातवें वेतन आयोग के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी, यदि विभिन्न भत्तों को छोड़ भी दिया जाये तो, 19260 रुपये महीना बनती है।

और यह 7वें पे-कमीशन द्वारा न्यूनतम मजदूरी, हाई कोर्ट के जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के ताजाा वेतन का आधार है। बड़ी अजीब बात है की जो न्याय के कर्णधार पे कमीशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार अपना बड़ा हुआ वेतन उठा रहे हैं उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा उससे कम निर्धारित मजदूरी का फैसला भी संविधान के विरुद्ध लगता ।

बहुत पहले बेर्टोल्ट ब्रेख्त लिखित गीत याद आता है। उसके शब्द यूँ हैं-

वो सब कुछ करने को तैयार
सभी अफसर उनके
जेल और सुधार- घर उनके
सभी दफ्तर उनके
वो सब कुछ ।।।
कानूनी किताबें उनकी
कारखाने हथियारों के
पादरी प्रोफेसर उनके
जज और जेलर तक उनके
सभी अफसर उनके

नगर निगम के चीफ़ इन्जीनियरों में कमीशन की लड़ाई

फ़रीदाबाद (म.मो.) खट्टर सरकार ने नगर-निगम के दो चीफ़ इन्जीनियरों डीआर भास्कर व रमन शर्मा को लड़ने के लिये आमने-सामने खड़ा कर रखा है। दोनों जने चीफ़ इन्जीनीयर की सीट कब्जाने की होड़ में हैं जबकि हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को भास्कर के हक में फ़ैसला देकर उन्हें करनाल से वापस फ़रीदाबाद भेज दिया है। लेकिन उनकी गैरहाजरी में उनकी सीट पर काबिज रमन शर्मा सरकार के आदेश का इन्तज़ार करने के साथ-साथ हाई कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में जुटे थे आरै शायद खबर छपते-छपते वे हाई कोर्ट पहुंच भी गये होंगे।

आखिर यह मामला है क्या? भास्कर यहां से करनाल जाकर चीफ़ इन्जीनियरिंग नहीं करना चाहते और रमन एक बार हाथ लगी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। मजे की बात तो यह है कि ये दोनों चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठें या न बैठें या घर में जाकर सोयें, इनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं आती। सरकार इन्हें सब कुछ बिना काम के भी दे रही है। फ़िर झगड़ा क्या है? झगड़ा लूट कमाई का है। यहां जितनी ऊंची पोस्ट होती है उतनी अधिक लूट कमाई होती है। बस झगड़ा उसी लूट कमाई का है। करनाल शहर का बजट यहां का दसवां हिस्सा भी नहीं है तो वहां बेचारा भास्कर क्या कमायेगा?

करीब 20-25 वर्ष पूर्व यहां न तो चीफ़ इन्जीनीयर की पोस्ट थी और न ही एसई की। केवल 3-4 एक्सइन ही होते थे। परन्तु लूट का दायरा बढाने के लिये रनोलिया ने अपने लिये एसई पद बनवाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। फ़िर साहू की सिफ़ारिश लग गयी तो यहां एसई के दो पद हो गये। फ़िर एनके टकारा का जमाना आया तो उन्होंने अपने लिये चीफ़ इन्जीनियर की पोस्ट पैदा कर ली। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो चीफ़ भी दो हो जायेंगे और उनके ऊपर एक इन्जीनीयर-इन-चीफ़ की पोस्ट भी जरूर बनेगी। तैनाती सबको इसी शहर में चाहिये। '**मज़दूर मोर्चा**' कई बार लिख चुका है कि फ़रीदाबाद से बाहर यदि किसी का तबादला कर दिया जाये तो ये नौकरी छोड़ जायेंगे और यहां बिना वेतन के भी नौकरी करने को तैयार हैं।

यहां जो 100 के करीब छोटे-बड़े इन्जीनियरों की फ़ौज है वह केवल जनता का खून चूसने के लिये है। वास्तव में यहां 10-12 इन्जीनियरों से अधिक की कोई जरूरत नहीं है। किसी एक-दो को छोड़ कर बाकी सभी फ़र्जी इन्जीनियर हैं। इन्जीनियर के नाम पर इनका काम केवल ठेके छोड़ना व ठेकेदारों के बिल पास करके या रोक कर कमीशन वसूलना मात्र है। और ठेकेदार भी ये लोग ऐसे चुनते हैं जो इनके वैसे ही चोर-उच्चके व जाहिल हों। जाहिर है ऐसे ठेकेदार काम भी ऐसे ही बेहूदे करेंगे जैसे इस शहर में दिखाई दे रहे हैं। हां ये जाहिल ठेकेदार कमीशन जरूर मोटा देते हैं।

अपनी बदहाली पर आंसू बहाता गांव बड़खल

फ़रीदाबाद (म.मो.) बड़खल गांव के नाम पर बने विधानसभा क्षेत्र से सीमा त्रिखा विधायक तो बन गयी लेकिन इन्होंने इस गांव की ओर झांक कर कभी नहीं देखा। क्षेत्र का एक बड़ा गांव होने के बावजूद बड़खल तमाम सुविधाओं से वंचित है।

नगर निगम में समाहित इस गांव की वेशकीमती पंचायती ज़मीन तो नगर निगम बड़े आराम से डकार गया लेकिन नागरिक सुविधायें यहां के निवासियों को देने की जरूरत निगम ने कभी नहीं समझी। ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाते हुये करीब चार वर्ष पूर्व यहां के तमाम गलियों को खोद कर सीवर लाइन बिछाने का ढोंग तो बिखेरा गया लेकिन इसकी सुविधा आज तक प्राप्त नहीं हुई। जाहिर है निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ दिखाकर निगम अधिकारी व नेता डकार गये।

सीवर लाइन डालने के इस ड्रामे के बाद सड़कों एवं गलियों की जो दुर्दशा हुई उसे आज सारा गांव भुगत रहा है। शायद ही कोई गली ऐसी बची हो जिसमें गड्ढे न हों, घरेलू नालियों का पानी न सड़ रहा हो। कई जगह तो सीवर के खुले मैन होल घातक दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं।

बरसाती पानी को सम्भालने के लिये गांव में दो सार्वजनिक तालाब हुआ करते थे। गांव का सारा बरसाती पानी बह कर स्वत: इन तालाबों में भर जाता था। पर तालाबों के इस पानी से एक ओर जहां भू-जल स्तर रीचार्ज होता था वहीं दूसरी ओर गांव के पशुओं के नहाने पीने की भी पूरी सुविधा होती थी। इसके अलावा भी इस पानी को ग्रामीण विभिन्न प्रकार के उपयोग में लेते थे।

लेकिन अब इन दोनों तालाबों का कहीं भी नामों-निशान नहीं बचा। भ्रष्ट कर्मचारियों व स्वार्थी राजनेताओं के संरक्षण में गांवों के दबंगों ने इन तालाबों को मिट्टी व मलबे आदि से भरकर प्लॉट काट दिये और बेच खाये। इसके परिणामस्वरूप आज ज़रा सी बारिश होने पर गांव में जगह-जगह जल भराव इस कदर हो जाता है कि गांव की गलियों और सड़कों पर चलना दुश्वार हो जाता है।

ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों व नेताओं का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है। कई बार इन लोगों को ज्ञापन भी दिये गये हैं जिनका कोई असर नहीं हुआ। इसी के चलते गांव वालों ने बीते सप्ताह नगर निगम व सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं चेती तो उसे चेताने के लिये अन्य किसी कार्य योजना पर विचार किया जायेगा।